

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2024/

जयपुर,दिनांक: 06.2025

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निम्न सारणी में अंकित जिलों के सम्मुख अंकित गांवों को रबी फसल सम्बत-2081 (वर्ष 2024-25) में जिलों द्वारा भिजवाई गई ओलावृष्टि से फसल खराबे की नियमित/स्पेशल गिरदावरी की (7डी) रिपोर्ट के आधार पर ओलावृष्टि से 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक खराबा होने के कारण प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने के लिये अभावग्रस्त घोषित करती है एवं जिला अलवर, चूरु, डीग, झुन्झुनू व खैरथल-तिजारा के प्रभावित पात्र व्यक्तिगत कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान की अनुमति प्रदान कर, निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के जारी होने से 31 जुलाई, 2025 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांवों की सं.
1	अलवर	लक्ष्मणगढ़, रेणी, मालाखेड़ा व कठूमर	11
2	बीकानेर	लूणकरणसर	07
3	चूरु	भानीपुरा व राजगढ़	26
4	भरतपुर	वैर	06
5	डीग	नगर	02
6	झुन्झुनू	पिलानी, नवलगढ़, बुहाना, झुन्झुनू व सूरजगढ़	41
7	नागौर	डेह	18
8	खैरथल-तिजारा	तिजारा, कोटकासिम व मुण्डावर	32
योग:-		18	143

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(भगवत सिंह)

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2025.06.28 16:01:36 IST
Reason: Approved



(1)

.....लगातार.....